

22/5/18

पत्रावली राजस्थान लोक अकादमी - यात्रा
आपके द्वारा 2018 के मध्य मुझे अर्थात् पर प्रस्तुत
हुई) जादीगण अधिकारों एवं वकी मूल-चन्द
दिया देवीसाल खटीकु द्वारा जपान पर प्रस्तुत
कर प्रकरण में जहाँ जहाँ कोई कार्यवाही
नहीं चाहकर नया वाद प्रस्तुत करने
का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त
प्रकरण को विद्वे करने का निवेदन
दिया।

मोहम्मद अली खान

वादी का कदम अन्तर्गत द्वारा
88, 89, 188 RTI का नया वाद प्रस्तुत
करने से अधिकार को सुरक्षित रखते
हुए प्रकरण में जहाँ कोई कार्यवाही
नहीं चाहते से वाद-पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली वाद संख्या दर्ज
रजिस्टर के संख्या शुभ होकर नम्बर
से कम है।

सहायक कलेक्टर
(सप्लायर अधिकारी)

मेगापुर जिला, राजस्थान